



PEOPLE'S  
UNIVERSITY

# PEOPLE'S UNIVERSITY

(Established by MP Act No. 18 of 2011 & approved u/s 2 (f) of UGC Act 1956)

ISO 9001 : 2015 Certified

## PEOPLE'S DENTAL ACADEMY

क्रमांक/पीडीए/डीन/2024/849

दिनांक: 13/09/2024

प्रति,

संचालक,

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग,

छठी मंजिल सतपुड़ा भवन,

भोपाल (मध्यप्रदेश), 462004

विषय :- MPPURC द्वारा वर्ष 2024-25 में बी. डी. एस पाठ्यक्रम की फीस अनुमोदन परचात, यूजी काउंसिलिंग पोर्टल में संशोधन के संबंध में।

संदर्भ :- पत्र क्रमांक/2371/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2024.

महोदय,

विषयगत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि यूजी काउंसिलिंग 2024 के प्रारम्भ होने से पूर्व बी.डी.एस पाठ्यक्रम की वर्ष 2024-25 का शिक्षण शुल्क पूर्व में निर्धारित नहीं था। MPPURC के पत्र क्रमांक/2371/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2024.दिनांक 05/09/2024 द्वारा पीपुल्स डेंटल एकेडमी की बी.डी.एस पाठ्यक्रम की फीस निर्धारित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि अगामी यूजी काउंसिलिंग के चरणों हेतु पीपुल्स डेंटल एकेडमी की शिक्षण शुल्क में संलग्न पत्रानुसार संशोधन करने की कृपा करे।

सधन्यवाद प्रेषित।

पत्र संलग्न



भवदीय

*(Handwritten signature)*  
13/09/24

डॉ. संजीव त्यागी  
अधिष्ठाता

पीपुल्स डेंटल एकेडमी भोपाल  
**Dr. Sanjeev Tyagi**  
Dean  
People's Dental Academy  
Bhopal

## PEOPLE'S DENTAL ACADEMY

क्रमांक / पीडीए / डीन / 2024 / 850

दिनांक: 13 / 09 / 2024

प्रति,  
संचालक,  
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग,  
छठी मंजिल सतपुड़ा भवन,  
भोपाल (मध्यप्रदेश), 462004

विषय :- MPPURC द्वारा वर्ष 2024-25 में एम. डी. एस पाठ्यक्रम की फीस अनुमोदन पश्चात, पीजी काउंसिलिंग पोर्टल में संशोधन के संबंध में।

संदर्भ :- पत्र क्रमांक / 2371 / शुल्क / म.प्र.नि.वि.वि.आयोग / 2024.

महोदय,

विषयगत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि पीजी काउंसिलिंग 2024 के प्रारम्भ होने से पूर्व एम.डी.एस पाठ्यक्रम की वर्ष 2024-25 का शिक्षण शुल्क पूर्व में निर्धारित नहीं था। MPPURC के पत्र क्रमांक / 2371 / शुल्क / म.प्र.नि.वि.वि.आयोग / 2024. दिनांक 05 / 09 / 2024 द्वारा पीपुल्स डेंटल एकेडमी की एम.डी.एस पाठ्यक्रम की फीस निर्धारित की गयी है।


अतः अनुरोध है कि अगामी पीजी काउंसिलिंग के चरणों हेतु पीपुल्स डेंटल एकेडमी की शिक्षण शुल्क में संलग्न पत्रानुसार संशोधन करने की कृपा करे।

सधन्यवाद प्रेषित।

पत्र संलग्न



भवदीय



(डॉ. सजिव त्यागी)  
अधिष्ठाता  
पीपुल्स डेंटल एकेडमी भोपाल  
**Dr. Sanjeev Tyagi**  
Dean  
People's Dental Academy  
Bhopal



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र.

2371/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2024

दिनांक 05/09/24

## आदेश

प्रति,

कुलसचिव,  
पीपुल्स विश्वविद्यालय  
भोपाल (म.प्र.)

विषय- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24.08.2024 में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 192वीं समा बैठक दिनांक 05.09.2024 में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रुपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	People's College of Medical Science	MBBS	2,200,000.00	1,474,750.00	260,250.00	1,735,000.00
2	People's College of Medical Science	MD/MS Clinical Radio & Dërma	2,300,000.00	1,810,500.00	319,500.00	2,130,000.00
3	People's College of Medical Science	MD/MS Clinical (Medicine)	2,300,000.00	1,619,250.00	285,750.00	1,905,000.00
4	People's College of Medical Science	MS Obstric & Gynecology	2,200,000.00	1,619,250.00	285,750.00	1,905,000.00
5	People's College of Medical Science	DM(Endocrinology)	2,500,000.00	1,717,000.00	303,000.00	2,020,000.00
6	People's College of Medical Science	MD/MS Clinical ( Others)	2,200,000.00	1,547,000.00	273,000.00	1,820,000.00
7	People's College of Medical Science	MD Pathology	1,000,000.00	697,000.00	123,000.00	820,000.00

11/02/11

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रुपये में)

8	People's College of Medical Science	MBC Medical	110,000.00	85,000.00	15,000.00	100,000.00
9	People's College of Dental Science	BDS(PCDS)	238,000.00	202,300.00	35,700.00	238,000.00
10	People's College of Dental Science	MDS/ Clinical(PCDS)	680,000.00	539,750.00	95,250.00	635,000.00
11	People's College of Dental Science	MDS/ Non Clinical(PCDS)	300,000.00	255,000.00	45,000.00	300,000.00
12	People's College of Dental Science	Diploma in Dental Hygienist Dental	80,000.00	68,000.00	12,000.00	80,000.00
13	People's College of Dental Science	Diploma in Dental Mechanic	80,000.00	68,000.00	12,000.00	80,000.00
14	People's Dental Academy	BDS(PDA)	238,000.00	202,300.00	35,700.00	238,000.00
15	People's Dental Academy	MDS/ Clinical(PDA)	680,000.00	539,750.00	95,250.00	635,000.00
16	People's Dental Academy	MDS/ Non Clinical (PDA)	300,000.00	255,000.00	45,000.00	300,000.00
17	School of Pharmacy and Research	B-Pharma	71,000.00	60,350.00	10,650.00	71,000.00
18	School of Pharmacy and Research	M-Pharma	168,000.00	142,800.00	25,200.00	168,000.00
19	School of Pharmacy and Research	D-Pharma	75,000.00	63,750.00	11,250.00	75,000.00
20	School of Research & Technology	B-Tech	66,000.00	56,100.00	9,900.00	66,000.00
21	School of Research & Technology	Diploma	35,000.00	29,750.00	5,250.00	35,000.00
22	School of Research & Technology	M-tech	103,000.00	87,550.00	15,450.00	103,000.00
23	School of Research & Technology	BSC	30,000.00	22,100.00	3,900.00	26,000.00
24	People's Institute of Hotel Management	BBA(HHA)	61,000.00	51,850.00	9,150.00	61,000.00
25	People's Institute of Hotel Management	BHMCT	60,000.00	51,000.00	9,000.00	60,000.00
26	People's Institute of Hotel Management	PG DHMCT	37,000.00	31,450.00	5,550.00	37,000.00
27	People's Institute of Hotel Management	Diploma in Food Production and Patisserie	30,000.00	25,500.00	4,500.00	30,000.00
28	People's Institute of Hotel Management	BSC -HHA	61,000.00	45,900.00	8,100.00	54,000.00
29	People's Institute of Management & R.C	BBA	31,000.00	25,500.00	4,500.00	30,000.00
30	People's Institute of Management & R.C	B.Com	18,000.00	15,300.00	2,700.00	18,000.00
31	People's Institute of Management & R.C	MBA	71,000.00	59,500.00	10,500.00	70,000.00
32	People's Institute of Management & R.C	MBA HA	85,000.00	72,250.00	12,750.00	85,000.00

*Am*

*Sharma*


// 03 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रुपये में)

33	People's Institute of Management & R.C	M.Com	19,000.00	16,150.00	2,850.00	19,000.00
34	University Teaching Department	MA	31,000.00	25,500.00	4,500.00	30,000.00
35	University Teaching Department	Ph.D	110,000.00	93,500.00	16,500.00	110,000.00
36	University Teaching Department	MSW	31,000.00	25,500.00	4,500.00	30,000.00
37	University Teaching Department	BSC Biotech	70,000.00	51,000.00	9,000.00	60,000.00
38	University Teaching Department	MSC	80,000.00	68,000.00	12,000.00	80,000.00
39	University Teaching Department	BSC (Electronic Media)	31,000.00	25,500.00	4,500.00	30,000.00
40	University Teaching Department	Bachelor of Journalism	31,000.00	25,500.00	4,500.00	30,000.00
41	University Teaching Department	MA Mass Communication	49,000.00	41,650.00	7,350.00	49,000.00
42	University Teaching Department	BA	25,000.00	21,250.00	3,750.00	25,000.00
43	People's Institute of Legal Studies	LLM I YEAR	60,000.00	51,000.00	9,000.00	60,000.00
44	People's Institute of Legal Studies	BA LLB	60,000.00	46,750.00	8,250.00	55,000.00
45	People's Institute of Legal Studies	LLB	60,000.00	46,750.00	8,250.00	55,000.00

1. उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकंकित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।
2. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
4. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकंकित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा।
5. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जायेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नहीं है।







//04//

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

7. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
  8. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2024-25 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।
- (अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

  
(सुनील कुमार)  
प्रबंधक

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक .....

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2024

प्रतिलिपि

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई टी शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

  
प्रबंधक

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

सत्र 2024-25 में प्रदेश के निजी चिकित्सा स्नातक एवं स्नातकोत्तर एमबीबीएस पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग में पुनः निर्धारित शैक्षणिक शुल्क के संबंध में।(From, RKDF Medical College Hospital and Research Centre, Bhopal, MP.

From: rkdf medical (rkdfmedical2012@gmail.com)

To: dme12001@yahoo.com

Date: Wednesday, September 11, 2024 at 03:19 PM GMT+5:30

प्रति,

संचालक चिकित्सा शिक्षा

जिला – भोपाल (म.प्र.)

**विषय :- सत्र 2024-25 में प्रदेश के निजी चिकित्सा स्नातक एवं स्नातकोत्तर एमबीबीएस पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग में पुनः निर्धारित शैक्षणिक शुल्क के संबंध में।**

महोदय,

सविनय सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल म.प्र. द्वारा हमारे आर.के.डी.एफ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर भोपाल (म.प्र.), सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय में एमबीबीएस पाठ्यक्रम (शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25) हेतु वार्षिक शिक्षण शुल्क रूपये सौलह लाख पैसठ हजार रूपये मात्र (रूपये – 16,65,000/-) शुल्क निर्धारित किया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम (शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25) में जारी प्रवेश प्रक्रिया में उपरोक्त लिखित शुल्क निदर्शित किया जाये।

सादर सम्मान।

Kindly find an attachment for an official letter.

S/d

अधिष्ठाता

आर.के.डी.एफ मेडिकल कॉलेज

हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर भोपाल (म.प्र.)

**संलग्न - मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल म.प्र. द्वारा अनुमोदित शिक्षण शुल्क सूची की छायाप्रति ।**



Letter for DME 11 Sep 2024.pdf  
405.6kB



**R.K.D.F. MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & RESEARCH CENTRE, BHOPAL**  
**BHOPAL(M.P.)**  
**JATKHEDI, NH-12 HOSHANGABAD ROAD, BHOPAL (M.P.)**  
Ph: (0755) 6710300

RKDFMCHRC/1211/2024

दिनांक : - 11/09/2024

प्रति,

संचालक चिकित्सा शिक्षा  
जिला - भोपाल (म.प्र.)

विषय :- सत्र 2024-25 में प्रदेश के निजी चिकित्सा स्नातक एवं स्नातकोत्तर एमबीबीएस/एमडी/एम एस) पाठ्यक्रमों की काउंसिलिंग में पुनः निर्धारित शैक्षणिक शुल्क के संबंध में।

महोदय,

सविनय सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल म.प्र. द्वारा हमारे आर.के.डी.एफ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर भोपाल (म.प्र.), सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय में एमबीबीएस पाठ्यक्रम (शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25) हेतु वार्षिक शिक्षण शुल्क रुपये सौलह लाख पैसठ हजार रुपये मात्र (रुपये - 16,65,000/-) शुल्क निर्धारित किया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम (शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25) में जारी प्रवेश प्रक्रिया में उपरोक्त लिखित शुल्क निर्दिष्ट किया जाये।

सादर सम्मान।



  
अधिष्ठाता

आर.के.डी.एफ मेडिकल कॉलेज  
हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर भोपाल (म.प्र.)  
DEAN  
RKDF Medical College Hospital  
Research Centre Bhopal (M.P.)

संलग्न - मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल म.प्र. द्वारा अनुमोदित शिक्षण शुल्क सूची की छायाप्रति ।





# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र.

2364/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2024

दिनांक 05/09/24.....

## आदेश

प्रति,

कुलसचिव,  
सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय  
भोपाल (म.प्र.)

**विषय- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।**

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24.08.2024 में की गयी अनुशांसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 192वीं सभा बैठक दिनांक 05.09.2024 में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

**विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रुपये में)**

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Business School	BBA	16,000.00	12,920.00	2,280.00	15,200.00
2	Business School	MBA(FT)	55,000.00	44,200.00	7,800.00	52,000.00
3	Business School	MBA(PT)	27,500.00	22,100.00	3,900.00	26,000.00
4	Arts	BA (Journalism & Mass Communication)	11,000.00	8,925.00	1,575.00	10,500.00
5	Arts	MA	16,500.00	13,430.00	2,370.00	15,800.00
6	Arts	MSW	18,150.00	14,875.00	2,625.00	17,500.00
7	Medical	MBBS	1,860,000.00	1,415,250.00	249,750.00	1,665,000.00

//02//

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रुपये में)

8	Medical	MD/MS CLINICAL	2,350,000.00	1,500,250.00	264,750.00	1,765,000.00
9	Medical	MD / MS (Dermatology, Venereology & Leprosy / Radio-diagnosis)	2,500,000.00	1,768,000.00	312,000.00	2,080,000.00
10	Medical	MD / MS (Obstetrics & Gynecology / General Medicine)	2,350,000.00	1,589,500.00	280,500.00	1,870,000.00
11	Medical	MD / MS (Pediatrics / Orthopedics / Ophthalmology / Otorhinolaryngology / Anesthesiology)	2,150,000.00	1,564,000.00	276,000.00	1,840,000.00
12	Medical	MD/MS Non Clinical	110,000.00	93,500.00	16,500.00	110,000.00
13	Medical	MD PATHOLOGY	1,000,000.00	722,500.00	127,500.00	850,000.00
14	Dental	BDS	198,000.00	165,750.00	29,250.00	195,000.00
15	Dental	MDS	592,500.00	467,500.00	82,500.00	550,000.00
16	Engineering	Diploma Eng	44,000.00	35,700.00	6,300.00	42,000.00
17	Engineering	BE	59,000.00	46,750.00	8,250.00	55,000.00
18	Engineering	M. TECH	71,500.00	57,800.00	10,200.00	68,000.00
19	Pharmacy	D PHARMA	120,000.00	86,700.00	15,300.00	102,000.00
20	Pharmacy	B PHARMA	85,000.00	57,375.00	10,125.00	67,500.00
21	Pharmacy	M PHARMA	85,000.00	57,375.00	10,125.00	67,500.00
22	Computer Science	MCA	27,800.00	21,420.00	3,780.00	25,200.00
23	Computer Science	DCA	11,000.00	8,925.00	1,575.00	10,500.00
24	Computer Science	BCA	12,100.00	9,350.00	1,650.00	11,000.00
25	Computer Science	PGDCA	16,500.00	13,430.00	2,370.00	15,800.00
26	Agriculture	Diploma Agriculture	25,000.00	16,575.00	2,925.00	19,500.00
27	Agriculture	BSC (Agriculture)	66,000.00	51,000.00	9,000.00	60,000.00
28	Science	BSC	16,500.00	13,600.00	2,400.00	16,000.00
29	Science	MSC	22,000.00	17,850.00	3,150.00	21,000.00
30	Commerce	B. Com	11,000.00	9,350.00	1,650.00	11,000.00
31	Commerce	M. Com.	19,800.00	16,575.00	2,925.00	19,500.00
32	Library Science	B LIB	11,000.00	9,350.00	1,650.00	11,000.00
33	Library Science	M LIB	13,200.00	11,050.00	1,950.00	13,000.00
34	Law	LLB	38,000.00	30,600.00	5,400.00	36,000.00
35	Law	BALLB	38,000.00	30,600.00	5,400.00	36,000.00

*Prin*

*spes*

// 03 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रूपये में)

36	Homeopathy	BHMS	180,000.00	127,500.00	22,500.00	150,000.00
37	Homeopathy	MD HOMEO	350,000.00	276,250.00	48,750.00	325,000.00
38	Yoga	B. Sc	27,500.00	21,250.00	3,750.00	25,000.00
39	Yoga	M. Sc	21,000.00	16,405.00	2,895.00	19,300.00
40	Yoga	Diploma	8,000.00	6,545.00	1,155.00	7,700.00
41	Fashion Designing	B. Sc	24,200.00	20,570.00	3,630.00	24,200.00
42	Fashion Designing	M. Sc	18,100.00	15,385.00	2,715.00	18,100.00
43	Fashion Designing	Diploma	14,500.00	12,325.00	2,175.00	14,500.00
44	Fashion Designing	BA Animation & Graphic	18,000.00	15,300.00	2,700.00	18,000.00
45	Ayurvedic	BAMS	340,000.00	253,300.00	44,700.00	298,000.00

1. उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकंकित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।
2. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
4. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकंकित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा।
5. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नहीं है।
7. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।


*Am*


*Sharma*

// 03 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

8. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2024-25 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।  
(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, द्वारा अनुमोदित)

  
(सुनील खरे)  
प्रबंधक

 म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक .....

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2024  
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

  
प्रबंधक

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

Fee Structure for MBBS & various MD/MS Courses at Chirayu Medical College and Hospital, Bhopal under Chirayu University, Bhopal for the Academic Year 2024-25

From: Dean Cmch (cmchdean@gmail.com)

To: dme12001@yahoo.com

Date: Thursday, September 12, 2024 at 03:21 PM GMT+5:30

Ref.No.:CMCH/DEAN/2024/1754

12<sup>th</sup> September 2024

To,  
The Directorate of Medical Education  
6<sup>th</sup> Floor, Satpura Bhawan,  
Arera Hills, Bhopal,  
Madhya Pradesh – 462004

fo"k; %& l= 2024&25 esa izns`k ds futh fpfdRlk @ nar egkfo|ky;ksa esa Lukrd ,oa LukrdksRrj ikB~;dzeksa dh dkmaflafyx esa fu/kkZfjr 'kS{kf.kd 'kqYd dh tkudkjH ds laca/k esaA

lanHkZ %& 1. vkidk i= dzekad 960@ihth@4@vkkpf`k@2024 Hkksiky fnukad 15@07@2024A

2. MPPURC, Bhopal Letter No.:2373/Admission/MPPURCBhopal/2024 dated 05.09.2024.

Respected Sir,

With reference to the subject and your reference letter therein, We are submitting the educational fees structure for MBBS and PG Courses at Chirayu Medical College and Hospital, Bhopal, as per M. P. Private University Regulatory Commission (MPPURC), Bhopal Order No. 2373/Fee/MPPURC/2024 dated 05/09/2024, for Admission Batch 2024-25.

The copy of order enclosed.

Sr. No	Course Name	Total Fees
1	MBBS	1,665,000.00
2	MD/MS Clinical	1,830,000.00
3	MD/MS Dermatology & Radiodiagnosis	2,210,000.00
4	MD/MS Obstetrics & Gynaecology and General Medicine	1,970,000.00
5	MD/MS Non CLinical	910,000.00
6	MD/ MS Pathology	910,000.00

Hence, submitted for your kind information.

Dean  
Chirayu Medical College & Hospital  
Bhopal (M.P.) - 462030



UG and PG FEE STRUCTURE 2024-25 CMCH Bhopal.pdf  
788.6kB





# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 2373/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2024

दिनांक 05/09/24.....

## आदेश

प्रति,

कुलसचिव,  
धिरायु विश्वविद्यालय  
भोपाल (म.प्र.)

विषय— शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24.08.2024 में की गयी अनुशांसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 192वीं सभा बैठक दिनांक 05.09.2024 में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रुपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Faculty Of Medicine	MBBS	2,115,000.00	1,415,250.00	249,750.00	1,665,000.00
2	Faculty Of Medicine	MD/ MS Clinical	2,437,500.00	1,555,500.00	274,500.00	1,830,000.00
3	Faculty Of Medicine	MD/ MS Dermatology, & Radio-Diagnosis	2,915,000.00	1,878,500.00	331,500.00	2,210,000.00
4	Faculty Of Medicine	MD/ MS Obstetrics and Gynecology & General Medicine	2,560,000.00	1,674,500.00	295,500.00	1,970,000.00
5	Faculty Of Medicine	MD/ MS Non Clinical	1,187,500.00	773,500.00	136,500.00	910,000.00
6	Faculty Of Medicine	MD/ MS Pathology	1,187,500.00	773,500.00	136,500.00	910,000.00

कार्यालय : ग्यान वाटिका, वाल्मी रोड, कलियासोट डैम के सामने भोपाल- 462016 (म.प्र.) ई-मेल : Sec.mppurc@gmail.com, वेबसाइट : mpnva.in, फोन : 0755-2490322  
Office : Gyan Vatika, Walmi Road, Opposite Kaliyasot Dam, Bhopal-462016 (M.P.) Email : Sec.mppurc@gmail.com, Website : mpnva.in, Phone : 0755-2490322

//02//

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रुपये में)

7	Faculty Of Medicine	MSC Medical Anatomy/ Physiology/Pharmacology/Biochemistry/ Microbiology	150,000.00	114,750.00	20,250.00	135,000.00
8	Faculty Of Medicine	PhD in Faculty of Medicine	150,000.00	114,750.00	20,250.00	135,000.00
9	Faculty Of Nursing Science	PhD in Faculty of Nursing Sciences	150,000.00	114,750.00	20,250.00	135,000.00
10	Chirayu School Of Management And Research	BBA	85,000.00	56,950.00	10,050.00	67,000.00
11	Chirayu School Of Management And Research	MHA	150,000.00	93,500.00	16,500.00	110,000.00
12	Chirayu School Of Management And Research	MBA	135,000.00	85,000.00	15,000.00	100,000.00
13	Chirayu School Of Management And Research	PhD in Faculty of Management	150,000.00	93,500.00	16,500.00	110,000.00

1. उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।
2. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
4. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा।
5. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नहीं है।

*Pm*


*Sharma*

//03//

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

7. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
8. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2024-25 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

  
(सुनील खरे)

प्रबंधक

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल



भोपाल, दिनांक .....

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2024

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

  
प्रबंधक

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल



L.N./ LNCTINDORE/Dean/2024/024

Date :- 13/09/2024

प्रति,

संचालक चिकित्सा शिक्षा  
सतपुड़ा भवन  
भोपाल मध्यप्रदेश

विषय:-एल.एन.सी.टी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के अधीन संचालित संस्था के शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शैक्षणिक शुल्क की जानकारी बावत्।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एल.एन.सी.टी. विद्यापीठ विश्वविद्यालय के अधीन संचालित एल.एन.सी.टी. मेडिकल कॉलेज एवं सेवाकुंज अस्पताल, इंदौर (म.प्र.) के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की सत्र 2024-25 की शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक: 2367/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2024, दिनांक : 05/09/2023 के द्वारा निर्धारित किया गया है। (आयोग द्वारा जारी आदेश की प्रति संलग्न)

अतः निवेदन है कि उक्त निर्धारित शैक्षणिक शुल्क को सत्र 2024-25 हेतु विभागीय रिकार्ड में अपडेट करने का कष्ट करें।

S No	Course Name	Fees	NRI Fees
1.	MBBS	16,65,000/-	49,95,000/-

आयोग द्वारा एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की सत्र 2024-25 की शैक्षणिक शुल्क का निर्धारित उपरोक्त पत्र संलग्न हैं।

डॉ. सार्धना संवत्सरकर  
अधिष्ठाता  
एल.एन.सी.टी. मेडिकल कॉलेज  
एवं सेवाकुंज अस्पताल, इंदौर (म.प्र.)

**DEAN**

LNCT Medical College  
&  
Sewakunj Hospital, Indore

प्रतिलिपि :

- रजिस्ट्रार, एलएनसीटी विद्यापीठ विश्वविद्यालय
- प्रशासनिक अधिकारी, एलएनसीटी विद्यापीठ विश्वविद्यालय



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL  
Government of Madhya Pradesh

2363/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2024

दिनांक 05/09/24

## आदेश

प्रति,

कुलसचिव,  
एल.एन.सी.टी विद्यापीठ विश्वविद्यालय  
इंदौर (म.प्र.)

विषय- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयोंमें मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(अ) एवं (ड) में विहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24.08.2024 में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 192वीं सभा बैठक दिनांक 05.09.2024 में किये गये अनुमोदन उपरान्त विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है-

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रुपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	School of MBBS	MBBS	1,750,000.00	1,415,250.00	249,750.00	1,665,000.00
2	School of Medical & Allied	M.Sc.(Med Anatomy), (Med. Physio.), (Pharmaco), (Bio Chem.), (Microbio.)	100,000.00	68,000.00	12,000.00	80,000.00
3	School of Pharmacy	D.Pharma.	80,000.00	68,000.00	12,000.00	80,000.00
4		B.Pharma.	85,000.00	72,250.00	12,750.00	85,000.00
5	School of Legal Studies	LLB	48,000.00	38,250.00	6,750.00	45,000.00

skhore



1/02/1

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रुपये में)

6		BA LLB BBA LLB.	74,000.00	59,500.00	10,500.00	70,000.00
7		LLM ( 2 year )	75,000.00	59,500.00	10,500.00	70,000.00
8	School of Agriculture Sciences	B. Sc. Agriculture	75,000.00	59,500.00	10,500.00	70,000.00
9		M.Sc. Agriculture	65,000.00	51,000.00	9,000.00	60,000.00
10	School of Management	MBA	80,000.00	63,750.00	11,250.00	75,000.00
11		Integrated Course of BBA + MBA , ( Integrated MBA )	90,000.00	68,000.00	12,000.00	80,000.00
12		BBA (Hospital Management)	50,000.00	38,250.00	6,750.00	45,000.00
13		BBA (Hotel Management)	50,000.00	38,250.00	6,750.00	45,000.00
14		Master of Hospital Management	90,000.00	68,000.00	12,000.00	80,000.00
15		BHM	45,000.00	34,000.00	6,000.00	40,000.00
16		BBA (Analytics Hons)	55,000.00	38,250.00	6,750.00	45,000.00
17		BBA-BIA	55,000.00	38,250.00	6,750.00	45,000.00
33	School of Commerce	B.Com (Banking /CS/Hons)	45,000.00	34,000.00	6,000.00	40,000.00
32		M.Com	50,000.00	38,250.00	6,750.00	45,000.00
18	School of Arts, Journalism & Mass Communications	BPES	25,000.00	17,000.00	3,000.00	20,000.00
19		BJMC	25,000.00	17,000.00	3,000.00	20,000.00
20		MJMC	25,000.00	17,000.00	3,000.00	20,000.00
21		B.Lib	25,000.00	17,000.00	3,000.00	20,000.00
22		B. Voc	25,000.00	17,000.00	3,000.00	20,000.00
23		M. Voc	45,000.00	34,000.00	6,000.00	40,000.00
24		BA ( 3yrsHon/Res. CBCS Sem Mode )	45,000.00	34,000.00	6,000.00	40,000.00
25		BA (Multimedia & Mass Communications)	45,000.00	34,000.00	6,000.00	40,000.00
26		MA	45,000.00	34,000.00	6,000.00	40,000.00
27		BHMCT	45,000.00	34,000.00	6,000.00	40,000.00

*Signature*

*Signature*

// 03 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रुपये में)

28	School of Computer Applications	BCA	50,000.00	38,250.00	6,750.00	45,000.00
29		MCA (DATA SC/AIML/Other Spl) all 3, 100 each	65,000.00	46,750.00	8,250.00	55,000.00
30	School of Science & Technology	Diploma Programs in (CSE ),( Mining ),( Mech. Engg ),( Civil ),( Ex. ),( EC ),( E & E), (IT), (Production ), Cyber Security	35,000.00	25,500.00	4,500.00	30,000.00
31		B.Tech. (civil, Mech, Ec, EE IT CS etc)	115,000.00	85,000.00	15,000.00	100,000.00
34		B.Tech (CSE AIML/DATA SC/CYBER SECURITY/OTHER SPL)	135,000.00	102,000.00	18,000.00	120,000.00
35		Certificate Course on RPA Drone	150,000.00	110,500.00	19,500.00	130,000.00
36		M.Tech. Integrated & normal - RPA all courses	100,000.00	76,500.00	13,500.00	90,000.00
37		B.Sc.	55,000.00	42,500.00	7,500.00	50,000.00
38		B.Sc. Multi Media & Mass Communication	55,000.00	42,500.00	7,500.00	50,000.00
39		M.Sc.( Forensic Sc.),( Phys.),( Chem.),( Botany),( Zoology),( Microbio),( Biotech ),( C.Sc.)	120,000.00	93,500.00	16,500.00	110,000.00

1. उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अर्कक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।
2. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संचारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संचारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संचारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

*Am*

*Scholar*

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

4. सब हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकित वित्तीय वार्षिक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष के शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जावेगा।
5. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जायेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिर्वाहता वापस करना हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित एम पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नहीं हैं।
7. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
8. विनियामक परिपत्रों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2024-25 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

*S. Khan*  
(सुनील खरे)  
प्रबंधक

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक .....

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2024

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

प्रबंधक

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल